फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अजय चौधरी(एडवोकेट) पिता श्री रामपाल चौधरी नि0 A-77 नई आबादी, शहीद भगत सिंह मार्ग कांकरोली जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 99/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.12..2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0, 05/प्र.अ.99/2024/6098 दिनांक 22.11.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2024 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत इस अनुभाग को 24.09.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के विधि अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग को पत्रांक 5083 दिनांक 01.10.2024 से ईप्सित सूचना उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग के पत्रांक 3896 दिनांक 09.10.2024 से इस कार्यालय को उपलब्ध अभिलेख अनुसार सूचना उपलब्ध कराई गई एवं दिनांक 21.10.2024 को प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(1) एवं 7(5) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना के 02 रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से रसीद क्रमांक 166 दिनांक 21.10.2024 से 02 X 1 = 02/— रूपये राजकोष में जमा करवा कर वांछित सूचना प्राप्त की गई। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निश्चित समायावधि में प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.10.2024 को उपलब्ध रिकोर्ड अनुसार सूचना उपलब्ध करवा दी गई। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध रिकोर्ड के	

न्यायालय जिला कलक्टर

अनुसार स्वयं प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर ली जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10/12/24

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)